पीठ से बोली गई बात: न्यायिक मौखिक टिप्पणियाँ और संस्थागत सीमाएँ

न्यायपालिका | समाचार संदर्भ: 15-21 मई 2026 (टिप्पणी 15 मई; स्पष्टीकरण 16 मई; विश्लेषण 21 मई) | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 15 मई 2026 को पीठ से की गई टिप्पणी — वरिष्ठ अधिवक्ता-पदनामन से जुड़ी सुनवाई में "युवा कॉकरोच की तरह" और कुछ अधिवक्ताओं के लिए "समाज के परजीवी" — और अगले दिन आया स्पष्टीकरण (आलोचना फ़र्ज़ी डिग्रीधारी पदनामितों तक सीमित) ने एक पुराना प्रश्न फिर खोला: जब न्यायाधीश पीठ से बोलता है और वाणी आहत करे, तो कौन-सा मानक लागू होता है? [प्रेस — हिंदू] संविधान न्यायिक अनौपचारिक वाणी का विनियमन नहीं करता [प्रेस]।

दो बार नामित मानदंड

पहला: **न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनःकथन** (Restatement of Values of Judicial Life) — पूर्ण पीठ द्वारा 7 मई 1997 को अपनाया गया [प्रेस]। दूसरा: **मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम एम.आर. विजयभास्कर** — न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ, 6 मई 2021; पैरा 37: सुनवाई-कालीन टिप्पणियाँ निर्णय या बंधनकारी निर्णय नहीं होतीं [प्राथमिक — न्यायालय]। इनसे एक शताब्दी पहले बेंजामिन कार्डोज़ो ने येल में स्टोर्स व्याख्यानों (1921) में न्यायिक वाणी का मानक दिया: न्यायाधीश "consecrated principles" से प्रेरणा ले; "spasmodic sentiment" के समक्ष न झुके; विवेक "परंपरा से सूचित, उपमा से व्यवस्थित, प्रणाली से अनुशासित" हो [प्रेस — कार्डोज़ो उद्धरण हिंदू द्वारा]।

सिद्धांत: पीठ की वाणी बनाम औपचारिक राय

कोर्ट का स्थापित दृष्टिकोण जनता से पीठ-टिप्पणियों को औपचारिक राय (formal opinion) से अलग पढ़ने को कहता है, और न्यायाधीशों से उस अंतर को ध्वस्त न होने देने को कहता है [प्रेस]। मौखिक टिप्पणियाँ तर्क-परीक्षण, स्पष्टीकरण-माँग या पक्षकार के दावे की कसौटी हो सकती हैं; बंधनकारी वही जो हस्ताक्षरित आदेश/निर्णय में है [प्रेस]। 2021 के उस मामले में कोर्ट ने पीठ-संवाद और उसकी रिपोर्टिंग की भूमिका पर विचार किया [प्राथमिक — न्यायालय (निर्णय-पाठ); हिंदू]।

संस्थागत सीमाएँ

हिंदू के विश्लेषण के अनुसार विवाद स्पष्टीकरण से समाप्त नहीं हुआ — संस्थागत प्रश्न बना हुआ: न्यायपालिका की विश्वसनीयता पीठ की अनौपचारिक वाणी से भी बनती-बिगड़ती है; स्व-विनियमन (1997 मूल्य-पुनःकथन जैसे आचरण-दस्तावेज़) ही उपलब्ध ढाँचा है, कानूनी नियंत्रण नहीं [प्रेस]।

संवाद बंद करना और संयम बरतना अलग हैं

2021 के निर्णय के अनुच्छेद 37 में सुनवाई की टिप्पणियों को अस्थायी दृष्टिकोण बताया गया है। ऐसे विचारों पर पक्षकार अपने तर्क रख सकते हैं और न्यायाधीश अंतिम परिणाम तक पहुँचते हैं। इसलिए हर प्रारंभिक सवाल को अंतिम न्यायिक मत मानना भी गलत है और सभी मौखिक सवाल बंद कर देना भी खुली सुनवाई का उद्देश्य कमजोर कर सकता है।

मुख्य अंतर उस टिप्पणी में है जो तर्क स्पष्ट करती है और उस भाषा में जो व्यक्ति या संस्था की गरिमा को अनावश्यक क्षति पहुँचाती है। किसी टिप्पणी का बंधनकारी निर्णय न होना उसका सार्वजनिक प्रभाव समाप्त नहीं करता। न्यायिक स्वतंत्रता के साथ संयम का आग्रह इसी संस्थागत जिम्मेदारी से जुड़ता है।

रिपोर्टिंग में संदर्भ की भूमिका

खुली अदालत की कार्यवाही की रिपोर्ट और औपचारिक आदेश का पाठ अलग स्रोत हैं। जिम्मेदार पाठक और रिपोर्टर को यह बताना चाहिए कि कौन-सी बात सुनवाई में पूछी गई, कौन-सी पक्षकार की दलील है और कौन-सा निष्कर्ष लिखित निर्णय में दर्ज है। संदर्भ हटाकर केवल तीखी पंक्ति दिखाने से अस्थायी संवाद अंतिम फैसला लग सकता है।

नीतिगत रूप से विश्वसनीय कार्यवाही-रिकॉर्ड, स्पष्ट आदेश और जरूरी स्पष्टीकरण इस भ्रम को कम कर सकते हैं। इन्हें पहले से हर अदालत में समान रूप से लागू व्यवस्था का दावा न समझें। न्यायालय की गरिमा बचाने का रास्ता सार्वजनिक जाँच को पूरी तरह बंद करना नहीं, संवाद और औपचारिक निर्णय के बीच भेद स्पष्ट रखना है।

निष्कर्ष

मौखिक संवाद न्यायिक विचार की प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम आदेश का विकल्प नहीं। खुली सुनवाई, सही संदर्भ में रिपोर्टिंग और गरिमापूर्ण न्यायिक भाषा परस्पर पूरक हैं।

परीक्षा की दृष्टि से

- **GS-2 (न्यायपालिका):** न्यायिक आचरण, Restatement of Values of Judicial Life (1997), न्यायिक जवाबदेही के गैर-सांविधिक साधन [प्रेस]।
- **प्रकरण-अध्ययन:** CEC बनाम विजयभास्कर (2021) — मौखिक टिप्पणी बनाम निर्णय; मीडिया और न्यायालय [प्रेस]।
- **करेंट अफेयर्स:** 15 मई 2026 CJI टिप्पणी व 16 मई स्पष्टीकरण; वरिष्ठ-अधिवक्ता पदनामन सुनवाई संदर्भ [प्रेस]।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 34 से 38: अध्यादेश से अधिनियम तक

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियाँ (oral remarks) न्यायिक आचरण और निष्पक्षता-धारणा को कैसे प्रभावित करती हैं? न्यायिक संयम और जवाबदेही के मानदंडों की चर्चा कीजिए।" (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: मौखिक टिप्पणी और औपचारिक निर्णय का अंतर बताएँ।

मुख्य भाग में: सुनवाई में प्रश्नों की उपयोगिता, अपमानजनक भाषा का निष्पक्षता की धारणा पर प्रभाव और न्यायिक संयम समझाएँ। 2021 के निर्णय तथा आचरण-मानदंड का संदर्भ दें।

उपाय: स्पष्ट संदर्भ, कार्यवाही का विश्वसनीय रिकॉर्ड और गरिमापूर्ण भाषा सुझाएँ।

निष्कर्ष में: स्वतंत्रता तथा सार्वजनिक जवाबदेही का संतुलन रखें।

स्रोत

- [प्रेस] The Hindu, "CJI's 'cockroaches' comment & clarification: Oral remarks and institutional limits", 21 मई 2026 — thehindu.com
- [प्राथमिक — न्यायालय] सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम एम.आर. विजयभास्कर, सिविल अपील सं. 1767/2021, निर्णय 6 मई 2021 (न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़; पीठ: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति एम.आर. शाह; पैरा 37: सुनवाई-कालीन टिप्पणियाँ निर्णय या बंधनकारी निर्णय नहीं) — main.sci.gov.in

- [प्रतिकृति] IndianKanoon - उसी निर्णय का पूर्ण पाठ

इस लेख को डाउनलोड करें: PDF